न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 75/2024 G.C.M.S. No. 2024/401 दर्ज दिनांक : 26.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. अर्जुनसिंह पुत्र नेनसिंह, जाति पुरोहित, निवासी निंबली माण्डा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत लक्ष्मणसिंह पुत्र नेनसिंह, जाति पुरोहित के विधिक प्रतिनिधिगण:–
   1/1 प्रेमकंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित, उम्र बालिग, निवासी बेरा दुदावा ग्राम निंबली मांड़ा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
   1/2 रघुनाथसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित, उम्र बालिग, निवासी बेरा दुदावा ग्राम निंबली मांडा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
   1/3 गजेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित, उम्र बालिग, निवासी बेरा दुदावा ग्राम निंबली मांडा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
   1/4 राजुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित, उम्र बालिग, निवासी बेरा दुदावा ग्राम निंबली मांडा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
   1/5 जगदीशसिंह, पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित, उम्र बालिग, निवासी बेरा दुदावा ग्राम निंबली मांडा, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 230/2024 बअनवान लक्ष्मणसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री कुमार दिग्विजय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 230/2024 बअनवान लक्ष्मणसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में लक्ष्मणसिंह ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था व मुख्य रूप से यह कथन किया था कि ग्राम निंबली मांडा तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली में ख़ाता संख्या 301 में ख़सरा नंबर 295 से 301 कुल रकबा 12.7096 हैक्टेयर है। जिसमें उसका 17/24 हिस्सा व अपीलार्थी का 7/24 हिस्सा है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को जवाब, सुनवाई, साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की और अपीलाधीन डिक्री पारित कर दी। वाद दिनांक 19.7.2024 को प्रस्तुत हुआ था और उसके मात्र 53 दिन में ही अपीलाधीन डिकी पारित कर दी गई हैं। जबकि विधि अनुसार भी 90 दिन तो अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किये जाने का सी.पी.सी. में ही प्रावधान हैं। इसके साथ ही पेशी दिनांक 8.8.2024 को अपीलार्थी को ज़वाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया और पेशी मात्र 8 दिन पश्चात् की दिनांक 16.8.2024 को रखी गई। जबकि अपीलार्थी की और से उपस्थिति ही दिनांक 31.7.2024 को दी गई थीं और विधि अनुसार 30 दिन का समय ज़वाब प्रस्तुत करने हेतु दिया ज़ाना आज्ञापक हैं और उचित कारण बताने पर 90 दिन तक का समय सी.पी.सी. के अनुसार दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद मात्र 8 दिन पश्चात् ही जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इसी से स्पष्ट हैं कि योग्य अधिन न्यायालय विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना नहीं कर रही थीं। पेशी तारीख 10.9.2024 को अपीलार्थी की और से एक प्रार्थनापत्र जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् प्रस्तुत किया गया और पीठासीन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से यह कहा गया कि ज़वाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया ज़ा रहा है आईन्दा हर हालत में जवाब पेश करें और पेशी मात्र 10 दिन पश्चात् की दिनांक 20.9.2024 की नियत की गई। उसके बावजूद भी योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र रिकार्ड से हटा दिया और अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता की ज़ानकारी के बिना मौखिक रूप से सुनाये गये आदेश के विपरीत आदेशिका लिखी जाकर अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता की जानकारी के बिना उनका जवाब बंद कर अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता की बहस सुने बिना बहस सुनना दर्ज़ कर अपीलाधीन डिक्री पारित कर दी, जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रज़िस्ट्रर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.09.2024 द्वारा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया। ज़िसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहख़ातेदारी भूमि का सभी सहख़ातेदारान के मध्य राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर खाता व लगान अलग–अलग करते हुए रास्ते आदि का प्रावधान रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (राज़स्व मण्ड़ल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को अधिकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में प्रतिवादी अर्जुनसिंह का हिस्सा 7/24 एवं वादी लक्ष्मणसिंह का हिस्सा 17/24 दर्ज़ है तथा हिस्से को लेकर कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है एवं भू–अभिलेख में सहखातेदारान के हिस्से दर्ज है। चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के किसी विशिष्ट भू–भाग को किसी विशिष्ट सहख़ातेदार के हिस्से में रख़े ज़ाने के संबंध में निर्णय पारित नहीं कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन के लिए प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। अतः विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भूमि की उर्वरता, पहुंच मार्ग, किस्म एवं कब्जे काश्त आदि का ध्यान रखते हुए नियम 18 से 21 में विहित प्रक्रियानुसार विभाज़न प्रस्ताव तैयार किया जाना अपेक्षित है। उभयपक्षकारान के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय एवं न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध होगा।

3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। ज़बकि विधिनुसार अपीलांट प्रतिवादी को ज़वाब प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन का समय दिये जाने का सीपीसी में प्रावधान है। जो नहीं दिया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी की ओर से दिनांक 31.07.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

09.2024 को जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया गया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया एवं यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति से विशिष्ट परिस्थितियों में अधिकतम 90 दिवस का समय दिया जा सकता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं हैं कि जवाब के लिए न्यूनतम 90 दिवस का अवसर दिया ही जावें। कोई भी पक्षकार इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से ख़ारिज़ किया ज़ाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner